13/8/24

वकील उत्तरदाता उपस्थित उत्तरदाता की प्रा० पत्र वापसी/दायरी पर सुना गया। वकील अपी० का कथन है कि मूल अपील दि० 15/6/17 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी जिसकी बाबत प्रा० पत्र 10/4/17 को अंदर मियाद पेश कर दिया गया। अतः बाबत प्रा० पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील रेस्पो० का कथन है कि उपरोक्त अपील अधी० न्याया० में 9R13 के प्रा० पत्र खारिज होने के आदेश के विरुद्ध पेश हुई है जबकि इसी न्याया० में अधीनस्थ न्याया० की डिग्री दि० 11/3/95 के विरुद्ध विचाराधीन है। इस बिन्दु पर पूर्व में एतराज किया तब अपीलांट द्वारा अपील को अदम हाजरी में खारिज कराया था। बावजूद इसके अपी० द्वारा प्रा० पत्र बाबत प्रस्तुत किया है जो अपने आप में आधारहीन है क्योंकि हालगत अपील को नंबर पर लिया जाता है तब भी अपी० मूल डिग्री को ही आक्षेपित कर रहे हैं। अतः अधी० न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के विरुद्ध पूर्व से ही अपील विचाराधीन

--(लगातार)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

किस्म : बनाम : मु.नं. दिनांक :

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रहते हुये हस्तगत अपील को नेबर पर नहीं लिया जा सकता। यदि हस्तगत अपील को नेबर पर लिया जाता है तो अधी० अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 11/7/94 के विरुद्ध की समानान्तर कार्यवाही करेंगे जो कानूनन विपरीत है। अतः प्रा० प्रा० पत्र को मय हर्जा खारिज किया जावें।	
	हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। चूंकि प्रा० प्रा० पत्र म्याद अंदर पेश किया गया। एवं अपील का निस्तारण गुण-अवगुण पर किया जावें अतः प्रा० प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल अपील नेबर ली जाती है। मूल अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जावें। प्रा० प्रा० पत्र फैसल शुमार की जाकर नेबर से कम की जावें। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) मुनिदेव (RAS)	
	भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)	